

## एसबीआई वीज़ा डेबिट कार्ड क्रॉस बॉर्डर अभियान नियम और शर्तें

भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) 01 सितंबर 2024 (00.00 बजे) से 30 नवंबर 2024 (23.59 बजे) (अभियान अवधि) तक चुनिंदा ग्राहकों के लिए क्रॉस बॉर्डर/अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रचार अभियान चलाएगा, जिसमें ₹ 200/- का कैशबैक दिया जाएगा। यह निम्नलिखित नियमों और शर्तों (T&C) के तहत चलेगा।

- 1) यह प्रचार केवल लगभग 18,800 ग्राहकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा।
- 2) पात्रता: यह प्रचार ("प्रचार") उन एसबीआई वीज़ा डेबिट कार्डधारकों के लिए मान्य है, जिन्होंने अभियान की शुरुआत की तारीख तक ईमेल या एसएमएस के माध्यम से अभियान संचार प्राप्त किया है और क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन (पॉइंट-ऑफ-सेल या ई-कॉमर्स) के लिए अपने कार्ड सक्रिय किए हैं ("पात्र कार्डधारक")। यह प्रचार केवल भारत में मान्य है।
- 3) प्रमोशन अवधि: प्रमोशन 01 सितंबर 2024 (00.00 बजे) से शुरू होकर 30 नवंबर 2024 (23.59 बजे) तक चलेगा (दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)।
- 4) कैसे भाग लें: भाग लेने के लिए, पात्र कार्डधारकों को अपने प्रमोशन कार्ड पर क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन (पॉइंट-ऑफ-सेल या ई-कॉमर्स) सक्रिय करना होगा और प्रमोशन अवधि के दौरान एक या अधिक क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन करने होंगे।
- 5) इनाम: उपर्युक्त गतिविधियाँ करने वाले सभी पात्र कार्डधारकों को ₹ 200/- का कैशबैक मिलेगा। प्रत्येक पात्र कार्डधारक प्रमोशन अवधि के दौरान केवल एक कैशबैक के लिए पात्र है।
- 6) कैशबैक अभियान समाप्ति तिथि के 90 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।
- 7) बहिष्करण: आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार यह प्रमोशन उन पात्र कार्डधारकों पर लागू नहीं है जो चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के दौरान भारत के निवासी नहीं हैं। साथ ही, पात्र कार्डधारक जिन्होंने अपने व्यवसाय या पेशे के लिए लेन-देन किया है, वे कैशबैक के लिए पात्र नहीं हैं।
- 8) कोई भाग्य-आधारित पुरस्कार नहीं: कैशबैक किसी भी खेल से जीत के रूप में या भाग्य या मौके के आधार पर नहीं दिया जाता है।
- 9) कोई कार्य या सेवा आवश्यकता नहीं: वीज़ा के लिए कोई कार्य करने या वीज़ा को कोई सेवा प्रदान करने के बदले में कैशबैक नहीं दिया जाता है।
- 10) वापसी: यदि प्रमोशन कार्डधारक उत्पाद को वापस करता है या रिफंड करता है या लेनदेन को रद्द करता है या किसी भी कारण से लेनदेन रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसा लेनदेन प्रमोशन की पात्रता के लिए योग्य नहीं होगा। यदि ऑर्डर को रद्द कर दिया जाता है या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है, तो प्रमोशन कार्डधारक केवल उन वस्तुओं के लिए प्रमोशन के लिए पात्र होगा जिनके लिए ऑर्डर रद्द / वापस नहीं किया गया था।
- 11) इस प्रमोशन से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद मुंबई, भारत में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
- 12) सामान्य नियम और शर्तें: प्रमोशन में भाग लेकर, आप सहमत होते हैं कि:
  - प्रमोशन के संबंध में इन नियमों और शर्तों और वीज़ा के निर्णय का पालन करें।
  - प्रमोशन से उत्पन्न होने वाली या इसके संबंध में किसी भी देयता, दावे, हानि, क्षति, लागत या व्यय से वीज़ा को मुक्त करें और क्षतिपूर्ति करें।

- समझें कि प्रमोशन में भागीदारी स्वैच्छिक है और किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- स्वीकार करें कि वीज़ा और एसबीआई प्रमोशन और इन नियमों और शर्तों या इसके किसी भी भाग को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण के संशोधित, निलंबित, रद्द या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- स्वीकार करें कि विजेताओं और वाउचर को निर्धारित करने का एकमात्र और अंतिम विवेक एसबीआई के पास है, और उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हैं।
- एसबीआई किसी भी पात्र कार्डधारक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो पात्रता प्रक्रिया से छेड़छाड़ करता है या इन नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं इस प्रमोशन में प्रवेश करता है या किसी भी तरह से इस प्रमोशन के उद्देश्य को बाधित करता है या बाधित करने का प्रयास करता है।
- वीज़ा किसी भी तकनीकी विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है जो किसी व्यक्ति को प्रमोशन में भाग लेने से रोक सकती है।
- यह प्रमोशन कानून द्वारा निषिद्ध होने पर अमान्य है।

इस प्रमोशन में भाग लेकर, प्रमोशन कार्डधारक इन बातों से सहमत होते हैं